# नई समाज रचना का सूत्रपात ''ग्राम सभा सशक्तिकरण''

बचपन से ही मुझे महसूस होता था कि समाज में शराफत कमजोर हो रही है। चालाक, धूर्त, अपराधी का मनोबल बढ़ रहा है, और शरीफ, सीधे, समझदार का मनोबल घट रहा है। शिक्षा बढ़ रही है और ज्ञान घट रहा है। भौतिक उन्नति हो रही है और चरित्र नीचे जा रहा है। मैंने भरसक कोशिश की कि अपने शहर से स्थितियों को पलटने का प्रयत्न करूं, किन्तु सफलता नहीं मिली। इसके विपरीत शराफत और कमजोर ही होती दिखी।

मैंने अपने शहर के नागरिकों से निवेदन किया कि वे मुझे इतना राजनैतिक पावर दें कि रामानुजगंज में शराफत को मजबूत और धूर्तता को कमजोर किया जा सके। मुझे पच्चीस वर्ष की उम्र में ही भारी बहुमत से नगरपालिका परिषद रामानुजगंज का चेयरमैन चुन लिया गया । मैंने कार्यालय जाकर अपने मुख्य नगरपालिका अधिकारी से जानना चाहा कि शहर में चोरी ,डकैती, दादागिरी, गुण्डागर्दी रोकने की कैसे पहल हो सकती है तो उन्होंने बताया कि ये काम तो पुलिस के जिम्मे हैं। इनमें नगरपालिका की कोई भूमिका नहीं हो सकती। नगरपालिका को तो सिर्फ साफ -सफाई, सड़क, पानी, बिजली, आदि कार्यो तक ही सीमित रहना है। मैंने पूछा कि यह बंटवारा कौन करता है? तो मुझे बताया गया कि गवर्मेंट ने बंटवारा किया है। तब तक तो मैं यही जानता था कि रामानुजगंज की जनता ही सरकार है जो अपने शहर के विषय में नियम कानून बना सकती है किन्तु मुझे झटका लगा कि जनता तो सिर्फ वोट देने तक की ही सरकार है, बाकी सारे अधिकार तो उस सरकार को है जिसे गवर्मेंट कहते है और जो दिल्ली और भोपाल में बैठकर कानून बनाती है। मैंने एक वर्ष तक कानूनों को समझा और हमारे मुख्य नगरपालिका अधिकारी की बात को सच पाया कि नगरपालिका को सिर्फ कार्यपालिक अधिकार ही प्राप्त हैं। उसे एक भी विधायी अधिकार प्राप्त नहीं। विधायी अधिकार तो सिर्फ संसद या विधान सभा तक ही सीमित हैं। मैंने एक वर्ष में ही नगरपालिका अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया।

मैंने अपने शहर की जनता से निवेदन किया कि वे मुझे वास्तविक सरकार तक पहुॅचा दें। मैं दलगत राजनीति में सक्रिय हुआ तथा जय प्रकाश जी के आंदोलन के कारण जेल चला गया जहां मैंने अट्ठारह माह बिताये। एकाएक जेल से छूटा तो चुनाव हुए और मैं सरकार बन गया। मैं सरगुजा जिले का पार्टी का अध्यक्ष बन गया और मेरे नीचे आठ विधायक और एक सासद थें। इनमें से एक केन्द्र  सरकार में मंत्री थे और एक राज्य सरकार के गृहमंत्री। सभी विधायक और सांसद जो मंत्री भी थे वे पूरी तरह ईमानदार रहें। आज तक उस कार्यकाल में भ्रष्टाचार का आरोप न प्रत्यक्ष लगा न परोक्ष। मैं भी अपने को सरकार ही समझता था।

हम लोगों ने एक माह की सरगुजा जिले की साइकिल यात्रा करके देखना चाहा कि वास्तव में हमारे कार्यकाल में भ्रष्टाचार रूका या नहीं, शराफत मजबूत हुई या नहीं। मैंने बाद में रामानुजगंज के आसपास के तीन सौ गांवों की पदयात्रा करके भी वास्तविक स्थिति देखना चाहा। हम सब पहले चिनियॉ गांव गये और आम लोगों से जानना चाहा कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ या नहीं तो आम सभा में लोगों ने बताया कि भ्रष्टाचार पहले से ज्यादा बढ़ गया

है। उस गांव का फौरेस्ट गार्ड गरीब लोगों द्वारा थोड़ी -थोड़ी घरेलू उपयोग की लकड़ी जंगल से लाने पर भी पी.ओ.आर. केस बना देता है, जबकि बड़े लोग बैलगाड़ी से ले जाते हैं। तो पैसा लेकर छोड़ देता है। मैंने गार्ड से पूछा तो उसने स्वीकार किया और बताया कि उसे रेंज अफसर ने कहा है कि हर महीने पॉच सौ रूपया लाओ और हर माह एक दो केस बनाओं। जो पैसा देने लायक हैं उन्हें पैसा लेकर छोड़ देता हूँ और जो नहीं दे पाते है उनका केस बना देता हूँ। बाद में मैंने डी.एफ.ओ. से पूछा तो उसने बताया कि उसे हमेशा ही कुछ पत्रकारों को भी देना पड़ता है तथा चुनाव आने पर उसमें भी भारी रकम देनी ही है। बच्चे भी हर महिने प्रतीक्षा करते रहते है। कोई मंत्री आते है उनमें खान-पान तथा कोई साधु-महात्मा यज्ञ करे तो नेता आदेश देता है इन्हें भी देना है। तो मुझे रेंजर और फौरेंस्टर को छूट देनी ही पड़ती है। मैं सोच ही नहीं सका कि इनमें कौन गलत है? सबके पास अपनी -अपनी मजबूरी की एक संतोषजनक कहानी है।

यात्रा में हम आगे बढ़े तो एक गांव में बहुत स्वागत हुआ। सुबह चले तो जंगल में एक लकड़ी काट रहे चरवाहे से पूछा कि उस गांव में सबसे बदमाश आदमी कौन है? तो उसका उत्तर था कि जहॉ रात को आप सबने मिलकर मीटिंग की है और स्वादिष्ट खाना हलवा पुरी खाया है। वह व्यक्ति ही गांव में सबसे बड़ा बदमाश है। हमने पूछा क्या बदमाशी करता है तो उसने बताया कि वह व्यक्ति किसी मजदूर को पांच सौ रूपया उधार काम करने के नाम पर दे देगा तो जीवन भर काम करते रहने के बाद भी वह रूपया कभी कम होता ही नहीं। यहॉ तक कि मरने के बाद उसके बेटे को भी काम करना पड़ता है। हमने उस चरवाहे से पूछा कि उस व्यक्ति से भी ज्यादा कोई बदमाश है या नहीं तो उसने बताया कि आजकल एक भुइयां आसाम से लौटकर आया है। वह उक्त व्यापारी से पांच सौ रूपया लाया और बाद में कहे जाने पर बोला कि वह आदिवासी है। यदि वह थाने में चला गया तो व्यापारी को जेल भी जाना पड़ सकता हैं। व्यापारी चुपचाप लौट गया। उक्त भुइयां कई लोगों के साथ ऐसा करता है। हम सोचते रहे कि शराफत अब भी लगातार कमजोर ही हो रही है। मुझे दिखा कि हमारे कानून चालाकी को सवर्ण से हटाकर आदिवासी की ओर स्थानान्तरित तो कर रहे हैं किन्तु शराफत मजबूत नहीं कर रहे बल्कि कमजोर ही कर रहे हैं।

इसी बीच रंका (झारखंड) में एक बस के यात्रियों को लूट लिया गया जिसमें रामानुजगंज के भी सम्पन्न व्यापारी थे। मैंने रंका के दरोगा जी को बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि डकैतों को गिरफ्तार करना आसान है किन्तु क्या लूटे गये सेठ जी गवाही देने को तैयार है? मैंने सेठ जी से पूछा तो वे बोले कि यदि डकैत एक दो दिन में बन्द भी हो गये तो वकील पैसा लेकर वकालत करेगा ही, नेता वोटों की लालच में थाने को फोन करेगा, जज पैसा खाकर जमानत देगा और अपराधी हमें धमकायेगा तो हमारी सुरक्षा दरोगा जी करेंगे या आप? हम निरूत्तर थे। मैंने दरोगा जी से और चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मैं यदि शिकार करूं और मैं तो भूखा रहूँ, तथा वकील, जज, नेता, खायें। इससे तो अच्छा है कि या तो मैं शिकार ही न करूं या करूं तो मैं ही खा जाउॅ। उन्होंने कहा कि डकैत से जो भी मिलता है वह हम और अपराधी थाने से निपटा लेते है। उसे वकील, जज, गवाह तक जाने ही नहीं देंते है। जिस दिन आप वचन देंगे कि अब वकील झूठ की वकालत नहीं करेगा, जज घूस लेकर जमानत नहीं

देगा, सेठ गवाही देगा, नेंता वोट का गुणा भाग नहीं करेगा तो यह दरोगा भी अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार हैं। मैं सोच ही नहीं सका कि कौन गलत है?

एक दिन गढ़वा रोड़ में मैं टिकट कटाने के लिये लाइन में खड़ा हूॅ। गढवा रोड़ उस समय बिहार में तथा अब झारखंड में है। दबंग लोग धक्का देकर आगे जाते हैं और टिकट ले लेते हैं। हमारी लाइन बढ़ती ही नहीं। मेरा लड़का उसी तरीके से टिकट लाने की इच्छा व्यक्त करता है अन्यथा गाड़ी छूट सकती है। मैं अनुमति दे देता हूॅ और वह टिकट ले आता हैं। मैंने उससे शिकायत की कि उसके धक्का देने से लाइन में खड़ी बेचारी बुढ़िया गिर गई जिसे कुछ चोट भी आई। उस लड़के ने उस बुढ़िया को उठाया भी नहीं टिकट लेने चला गया। लड़के ने कहा कि पिताजी, आज के जमाने में तो जो कमजोर है वह धक्का खाकर खड़ा रह जाता है तथा मजबूत धक्का देकर आगे चला जाता है। मैंने पूछा कि क्या यह उचित है तो उसने पूछा कि क्या यह उचित है कि सब धक्का देने वाले टिकट लेकर ट्रेन से दिल्ली चले जावे और हम लोग सक्षम होते हुए भी मूर्ख सरीखे यहीं खड़े रह जावें? आप लोगों ने तो जीवन भर यही शराफत भरी मूर्खता की हैं। अब आपकी नई पीढ़ी यही मुर्खता करने को तैयार नहीं है। सब लोग धक्का देकर आगे जायेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। और सब लोग लाइन में खड़े होकर टिकट लेंगे तो हम भी लाइन में खड़ा होने को तैयार हैं। मैं सोचता रहा कि इसका कहना ठीक है या गलत। मेरा दिल कहता रहा कि यह तर्क गलत हैं। अन्य को धक्का कैसे दे सकते हैं? दूसरी ओर मेरा दिमाग उस लड़के के कथन से सहमत है कि यदि सब धक्का देकर ही आगे बढ़ते है तो धक्का खाकर खड़े रह जाना मूर्खता कें अलावा कुछ नहीं।

मेरे कुछ उग्रवादी मित्र भी रहे है जो बाद में नक्सलवादी बन गये। मेरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि धक्का खाकर पीछे रह जाना भी अच्छी बात नहीं है और धक्का देकर आगे जाना भी अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि जो हमें धक्का देगा उसे हम बल पूर्वक धक्का देने से रोकेंगे। और जरूरत पड़ी तो गोली मार देंगे। इन लोगों ने बाद में कुछ लोगों को गोली मारी भी और पुलिस की गोली खाकर स्वयं भी मारे गये। समाधान नहीं निकला कि धक्का खाना समाधान है या धक्का देने वाले से भिड जाना। यदि मैं उससे स्वतः भिड़ गया तो यदि वह मुझसे मजबूत हुआ तो तुरंत ही मुझे दबा देगा और कमजोर हुआ तो पुलिस से पकडवा कर पिटवायेगा। समाधान तो इस टकराव से भी नहीं दिखता।

जब मुझे कोई भी उपयुक्त मार्ग नहीं दिखा तब मैंने निराश होकर राजनीति छोड़ दी और शहर के किनारे के जंगल में पहाड़ी के नीचे एक कोठरी बनाकर उसमें रहने लगा। मैं सिर्फ एक बात पर विचार करता था, कि ऐसे समय में उचित मार्ग क्या है? समाज में हर शरीफ आदमी धक्का देकर आगें बढने के विरूद्ध है और हर धूर्त धक्का देकर आगे बढ़ने के पक्ष में है। यदि कोई मजबूत है और धक्का देने वाला कमजोर है तो वह धक्का देने वाले को दो चार झापड़ दे देता है और यदि वह कमजोर है तो धक्का खाकर पीछे हट जाता हैं। अधिकांश धर्म गुरू स्वयं तो प्रपंच करके अथाह धन संग्रह में जुटे हैं तो दूसरी ओर समाज को चरित्र निर्माण का उपदेश दिन रात दे रहे हैं जिसका एक ही अर्थ है कि धक्का देने वालो का मार्ग छोड़ देना ही धर्म हैं। दूसरी ओर भारत का हर नेता अपने लोगों को तो अधिकारों की शिक्षा दे रहा है

जबकि शेष समाज को कर्तव्य का मार्ग बता रहा हैं। मुझे लगा कि ये धर्म गुरू सबसे ज्यादा गलत राह दिखा रहे हैं क्योकि राजनेताओं की बात तो लोग स्वार्थ के कारण भले ही सुनते हों किन्तु धर्म गुरूओं की बात तो लोग धर्म समझकर सुनते है और मानते भी है जो गलत हैं। मैं पंद्रह वर्ष तक उस ज्ञान यज्ञ आश्रम में रहकर शोध करता रहा कि उचित मार्ग क्या है? राजनीति तो मैंने छोड़ ही दी थी और चरित्र निर्माण का प्रवचन करने वालों से भी मुझे घृणा हो गई। क्योंकि न तो इनके चरित्र निर्माण के प्रवचन में कोई समाधान छिपा दिखता था न ही उनकी स्वयं की नीयत ठीक दिखती थी। मैं इस शोंध में लगा रहा।

मैं महसूस किया कि भारत की राजनीति की दिशा सर्वाधिक गलत है। भारत की राजनीति गलत नीयत से समाज में वर्ग निर्माण, वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष की परिस्थितियॉ निर्माण कर रही है जिसका उद्देश्य है सामाजिक एकता को छिन्न -भिन्न करना। इसे एक कहानी से समझा जा सकता है। कल्पना करिये कि सन् सैंतालीस में मेरे पिताजी ने तीर्थ यात्रा पर जाते समय अपनी धन सम्पत्ति 'अ' के पास अमानत रख दी और कहा कि यदि वह किसी कारण वश वापिस न आ पावे तो जब भी उसके चारों लड़के एक साथ मिलकर आवें तो ''अ'' उन्हें वह धन सम्पत्ति वापिस कर दें। वह व्यक्ति लौट नहीं पाया और 'अ' की नीयत खराब हुई तो उसने प्रयत्न किया कि चारो लड़के कभी एकजुट हो ही नहीं सकें। उनके अन्दर आपस में गंभीर मतभेद पैदा कर दिया जावे। स्वतंत्रता के तत्काल बाद हमारे नेताओं ने हमारी सामाजिक स्वतंत्रता को अन्प काल के लिये अपने पास अमानत रख लिया और गांधी जी के मरते ही इन नेताओं ने समाज को हिन्दू मुसलमान आदिवासी, गैर आदिवासी, औरत- मर्द गरीब-अमीर, के वर्गो में बाटना शुरू कर दिया। वे इन मतभेदों को टकराव तक ले जाते रहे। तिरसठ वर्ष बीत गये और राजनीति इस टकराव को सामाजिक न्याय का नाम देकर आगे बढ़ा रही है, जबकि इस सारे प्रयत्न का एक मात्र परिणाम है सामाजिक विघटन।

कुछ वर्ष बाद 'अ' के पुत्रों को विश्वास हो जाता है कि मेरे पुत्र वह धन कभी नही छुड़ा सकते। वे उक्त धन सम्पत्ति को अपना समझकर उसका दुरूपयोग शुरू कर देते हैं। उनकी सुख सुविधा को देख कर 'ब' उस धन पर कब्जा करने की कोशिश करता है तथा इस कोशिश में 'अ' और 'ब' के बीच हिंसक टकराव हो जाता हैं। आज यही हाल है कि राजनीतिज्ञ लोकतंत्र के नाम पर समाज को गुलाम बनाकर रखने की कोशिश कर रहे है और नक्सलवादी उक्त अधिकार छीनकर अपने पास रखने का संघर्ष कर रहे हैं। न वर्तमान लोकतंत्र समाज को उसके अधिकार वापिस करना चाहता है न ही नक्सलवादी समाज को उसके अधिकार दिलाने की कोई योजना बता रहे है। दोनों ही समाज को सुख सुविधाओं को भरोसा देकर सारे अधिकार अपने पास रखना चाहते है और सबसे ज्यादा दुखद यह है कि दोनो ही अपने संघर्ष के लिये गोला बारूद खरीदने का सारा खर्च भी हमसे ही वसूल रहे हैं। यदि कोई सैनिक मर रहा है तो उसका मुआवजा हमसे ही वसूला जा रहा है और किसी नक्सलवादी के मरने का भी । सारी लड़ाई का खर्च दोनों गुट हमसे वसूल रहें है।

मैंने विचार करना शुरू किया कि स्वतंत्रता के बाद हमारा समाज आगे गया या पीछे। मुझे याद है कि उस काल में मुझे रामानुजगंज से अम्बिकापुर जाने

के लिये पहले बैलगाड़ी से गढ़वा जाना पड़ता था वहॉ से इलाहाबाद और तब कटनी और कटनी के बाद अनुपपुर होते हुए बस से अम्बिकापुर आते थे। छः माह तक रास्ता बंद रहता था। मेरी मां रोज सुबह उठकर खाने का आटा पीसती थी तब दिन में खाना बनता था। उस समय घर में साइकिल खरीदने के लिये पूरे परिवार को वर्षो सोचना पड़ता था। आज पूरा वातावरण बदल गया है। अब तो पॉकिट में मोबाइल लेकर घूम रहे है। गांव गांव मे शिक्षा के लिये स्कूल खुल गये हैं। आज सब प्रकार का आवागमन भी सुलभ हो गया है तथा खान पान का स्तर भी बहुत उॅचा हो गया है। दूसरी ओर उस समय ज्ञान का स्तर आज से बहुत उॅचा था। मेरे घर के सामने अब्दुल मीयॉ का घर था और मेरे पिताजी और अब्दुल मीयॉ के बीच भाई भाई का व्यवहार था। अब्दुल मीयॉ के घर के चारो ओर हिन्दुओ के घर थे किन्तु उन्होने कभी अकेलापन नही समझा। आज यदि कोई मुसलमान आता है तो वह मुस्लिम मुहल्ले को तरजीह देता है और हिन्दू भी कोशिश करता है कि उसके मुहल्ले से मुसलमान दूर ही रहे तो ठीक। मेरे एक हिन्दू मित्र और मुसलमान मित्र की पत्नियॉ आपस मे ''गोई'' बन गई थी। इस बहन सम्बंध के आधार पर दोनो मित्र जीवन भर सम्बंधो को एक दूसरे को साढू समझकर निभाते रहे। आज की पीढ़ी के आपसी संबंधों में गिरावट क्यों हैं? उस समय जातीयता तो चरम पर थी किन्तु जातीय टकराव शून्य था। आज जातीयता तो घट रही है किन्तु जातिवाद भी बढ़ रहा है और जातीय कटुता भी। सन् सतहत्तर में मैं सरगुजा जिले का पार्टी अध्यक्ष था और मेरे साथ जिले में आठ विधायक और एक सांसद थे। इनमें भी सांसद जी केन्द्र में मंत्री थे और एक विधायक मध्यप्रदेश के गृहमंत्री। सभी विधायक सांसद और मंत्री शत प्रतिशत ईमानदार थे। एक भी भ्रष्टाचार का कभी संदेह नहीं रहा। आज सरगुजा जिले के आठ विधायकों में से किसी एक को भी इमानदार कहना निश्चित नहीं जब शिक्षा का अभाव था, गरीबी बहुत थी, आवागमन की दिक्कत थी तब भ्रष्टाचार का प्रतिशत तीन था। आज शिक्षा सताइस से बढ़कर सत्तर प्रतिशत हो गई तो भ्रष्टाचार तीन से बढ़कर नब्बे प्रतिशत हो गया। प्रश्न उठता है कि हम आगे गये या पीछे। शिक्षा बढ़ी और ज्ञान घटा, धन सम्पत्ति बढ़ी तो उससे कई गुना ज्यादा चरित्र गिरा, भौतिक संसाधन बढ़े तो भ्रष्टाचार और ज्यादा तीव्र गति से बढ़ा। प्रश्न उठता है कि क्या कोई ऐसा उपाय नहीं कि शिक्षा सम्पन्नता और भौतिक संसाधन भी बढ़े और ज्ञान चरित्र और ईमानदारी भी बढ़े। यदि कोई ऐसा उपाय न हो तो हमे खोजना ही होगा।

ऐसे चिन्तन काल में एक कहानी याद आई कि हम बीस लोग पिकनिक जाना चाहते है और हम सबने बीस बीस रूपया इकठ्ठा करके 'क' के पास व्यवस्था के लिये जमा किया। बाद में 'ख' से पता चला कि 'क' ने उसमें से पच्चीस प्रतिशत गडबड कर लिया। पांच वर्ष बाद के पिकनिक मे हमने उक्त धन 'ख' के पास जमा किया तो 'क' और 'ग' के बताये अनुसार गड़बड़ी ज्यादा हुई। अगली बार जब 'ग' के पास जमा हुआ तो गड़बड़ी और ज्यादा बढ़ गई। साठ वर्ष तक हम व्यक्ति बदलते रहे और गड़बड़ी बढ़ती चली गई। अन्त में निराश होकर यह योजना बनी कि अब व्यवस्था को इस तरह बदल दिया जावे कि न पैसा जमा हो न सामूहिक व्यवस्था हो। सब लोग अपना अपना धर से खाना लावे और अपना अपना खावे। आश्चर्य हुआ कि क' ख' ग' आदि जो हमेशा एक दूसरे की आलोचना करते थे वे सब एक जुट होकर इस नई निजीकरण नीति का विरोध करने लगें।

सबका एक ही तर्क था कि इससे तो असमानता होगी। कोई घर से लाकर हलुआ पुरी खायेगा तो कोई दुसरा भात दाल और कोइ तीसरा सत्तू। इससे तो अव्यवस्था हो जायगी। सारे भ्रष्ट लोग एक जुट हो गये कि आज निजीकरण किसी भी रूप में उचित नहीं। आज वही हो रहा है । साम्यवादी तो ऐसे निजीकरण के सदा ही खिलाफ रहे है तथा अन्य राजनैतिक दल भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निजीकरण के विरूद्ध ही रहते है। अब तो बाबा रामदेव भी व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर पुरानी लाइन की ही वकालत करते दिख रहे है। समाज बेचारा क्या करें?

मैंने अपने रिसर्च काल में निष्कर्ष निकाला कि लोक और तंत्र की वर्तमान भूमिका गलत हैं। वर्तमान व्यवस्था लोक नियुक्त तंत्र के रूप में काम कर रही है। इसे लोक नियंत्रित तंत्र होना चाहिये। लोक को मालिक और तंत्र को मैनेजर होना चाहिये जबकी आज लोक संरक्षित और तंत्र संरक्षक बन गया है। लोक की भूमिका वोट देने तक सीमित करके तंत्र ने सारे अधिकार अपने पास समेट लिये है। अप्रत्यक्ष रूप से तंत्र सरकार बन गया है और लोक सरकार आश्रित। इस प्रणाली को पूरी तरह बदल दे। मंने आम नागरिकों का मनोबल बढ़ाना शुरू किया कि हम रामानुजगंज के नागरिक ही सरकार है तथा हमारे जन प्रतिनिधि हमारे मैनेजर है। हमारे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को यह बात बुरी लगी कि एक शहर स्वयं को सरकार कहता है। उन्होंने आक्रमण करके हमारा आश्रम बंद कर दिया तथा कई लोगों को विभिन्न झूठे आरोपों में जेल में डाल दिया। मेरी सारी जमीन जब्त कर ली और अनेक यातनाएँ देनी शुरू की। मैं हाई कोर्ट गया तो सरकार ने मुझे नक्सलवादी घोषित कर दिया। हाई कोर्ट में कलेक्टर ने जाकर कहा कि मैं नक्सलवादी हूँ तथा स्वयं को सरकार कहता हूँ। मैंने कलेक्टर से पूछा कि सरकार कहना क्या अपराध है जब बहुत से बंगाली स्वयं को सरकार लिखते भी हैं। मैंने कलेक्टर से पूछा कि यदि जनता सरकार नहीं है तो सरकार कौन है? कलेक्टर उत्तर नही दे सका। न्यायालय ने मेरे उपर लगे सभी केश हटा लिये। मैंने कलेक्टर पर रामानुजगंज अदालत मे केश किया, जिसमें कलेक्टर को पचपन हजार रूपया कोर्ट से फाइन हुआ और जो अब अपील में लम्बित है। मैं आज भी सोचता हूँ कि वास्तव में सरकार कौन है? यदि जनता ही सरकार है और नेता हमारे प्रतिनिधि मात्र है, सरकार नहीं तो उन्हें बुरा क्यों लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि नेता हमें सरकार तब तक नहीं कहते है जब तक हम स्वयं को सरकार नहीं समझते। यदि हम स्वयं को सरकार समझना शुरू कर दे तो नेता इसे बरदाश्त नहीं कर सकता।

हम लोगों ने एक संविधान तैयार किया जो भारत के वर्तमान संविधान का विकल्प बन सकता है और उसका स्वरूप लोक स्वराज्य पर आधारित है। उक्त संविधान की सफलता के आंकलन के लिये रामानुजगंज शहर को चुना गया। चार नवम्बर निन्यान्नवे को अनुसंधान पूरा धोषित करके आश्रम बंद कर दिये। मैंने नगर पंचायत के चेयरमैन का यह कहकर चुनाव लड़ा कि लोक तंत्र को लोक स्वराज्य में बदल दिया जायगा। मं चुनाव जीत कर चेयरमैन बन गया। मैंने व्यवस्था दी कि शुक्रवार की शाम साढ़े पॉच बजे शहर के आम नागरिक नगर पालिका कार्यालय में बैठकर जो भी निर्णय करेंगे उस पर हमारा कार्यालय काम करेगा। एक दिन हमारे शहर के लोगां ने चोरी, डकैती, दादागिरी, गुण्डागर्दी रोकने का अतिरिक्त दायित्व नगर पंचायत को सौंप दिया। हमने अपनी पुलिस बना ली। कलेक्टर की शिकायत पर मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने पूछा कि आप इस तरह सरकार के विपरीत कैसे काम कर रहे हो? मैंने बताया

कि हम जनता को सरकार मानकर सिर्फ रामानुजगंज में उसे प्रयोग कर रहे है बाहर नहीं। मैंने जोगी जी को हाई कोर्ट के रिकार्ड भी दिखाये जिसके अनुसार नक्सलवाद से लेकर सरकार तक के आरोप मैं झेल चुका हूँ। जोगी जी ने माना कि मेरा कथन विशेष आपत्ति जनक नहीं है।

मैंने पूरे पांच वर्ष तक लोक स्वराज्य प्रणाली से नगर पंचायत व्यवस्था चलाई। नागरिकां का मनोबल बढ़ा। शराफत लगातार मजबूत हुई। इन पांच वर्षो में शहर में चोरी, डकैती, बिल्कुल रूकी। अपराधियों में भय बना। नेताओं की मनमानी पर अंकुश लगा। लोकतंत्र, लोकनियंत्रित तंत्र की दिशा बढ़ने लगा। पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करके मैं दिल्ली चला गया और वहां जाकर लोक स्वराज्य की आवश्यकता समझाने लगा। मैंने कई बार पूरे भारत की यात्रा की और समझाया कि शराफत का मजबूत होना हमारी पहली आवश्यकता है किन्तु आम तौर पर हमारे साथी शराफत का औचित्य स्वीकार करते हुए भी इसे असंभव कार्य मानते रहें। कोई पहल करने को तैयार नहीं था। मेरा मत था कि ग्राम सभा  सशक्तिकरण नई समाज रचना का आधार बन सकती है और नई समाज रचना से शराफत मजबूत होने लग जायगी। मैं मानता था कि सामाजिक न्याय के नाम पर वर्ग निर्माण किया जा रहा है और उसे वर्ग विद्वेष वर्ग संघर्ष तक ले जाया जा रहा है। पारिवारिक ग्रामीण एकता को कमजोर करके जातीय धार्मिक गुटबंदी को बढ़ाया जा रहा है। अब तो धर्मगुरू या समाज शास्त्री भी इस हवा में बहने लगे है। समाज में कमजोर के प्रति हिंसा और मजबूत के समक्ष कायरता का भाव बढ़ रहा है। सौ यात्रियों से भरी गाडी को दो दबंग आराम से लूट लेते है। गवाही देने को कोई तैयार नहीं है। रोटी कपड़ा दवा साइकिल जैसी आवश्यक वस्तुओं पर भारी अप्रत्यक्ष कर लगाकर शिक्षा बिजली डीजल रसोई गैस पर सब्सीडी दी जा रही है। ग्रामीण उत्पादन उपयोग की वस्तुओं पर कर लगाकर शहरी उत्पादन उपभोग की वस्तुओं को प्रोत्साहन सरासर अन्याय है, किन्तु यह सब हम देख रहे हैं।

मुझे स्पष्ट दिखा कि ग्राम सभा सशक्तिकरण को आधार बना कर नई समाज रचना संभव है। इससे इन समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती हैं। मैंने अपने शहरी साथियों को सुझाव दिया तो साथियों ने इस प्रयत्न की सफलता पर संदेह व्यक्त किया। मेरठ के कृष्ण कुमार खन्ना ने बहुत उत्साहित किया। किन्तु वे भी यह कार्य रामानुजगंज क्षेत्र से ही शुरू करने के पक्ष में थें। मैंने रामानुजगंज क्षेत्र से कार्य प्रारम्भ करने की घोषणा कर दी। मेरा एक ही लक्ष्य था कि शराफत मजबूत हो और धूर्तता कमजोर। मेरा एक ही मार्ग था ‘‘नई समाज रचना । मुझे इस कार्य के लिये प्रारंभ में पांच मुद्दे दिखे। (1) लोक और तंत्र के बीच दूरी का घटना (2) अंहिसक समाज रचना (3) वर्ग विद्वेष को वर्ग समन्वय में बदलना (4) भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत व्यवस्था (5) ग्रामीण उत्पादन और उपभोग की वस्तुओं को कर मुक्त करना। अन्य मुद्दे

बाद में जोड़ सकते है। इस प्रयोग के लिये प्रारंभ में रामानुजगंज को केन्द्र बनाकर एक सौ तीस गांव शामिल किये गये।

हमारे कुछ साथियों ने शंका जताई कि यह क्षेत्र तो पूरे भारत में सर्वाधिक बैकवर्ड क्षेत्रों में माना जाता है। यहॉ के निवासी ज्यादा तर शराब पीते है, अशिक्षित है, गरीब है। और ये तीनों ही बातें पिछड़े पन की पहचान हैं। हमारे क्षेत्र में ये तीनों लक्षण मौजूद हैं। किन्तु हमारे क्षेत्र की तीन और पहचान है कि यहॉ के लोग सच बोलते है, ईमानदार है, ठगे जाते है ठगते नहीं। प्रश्न उठता है कि बैक वर्ड, फारवर्ड की पहचान क्या है? एक व्यक्ति फूलपैट पहनकर आवे, खूब पढ़ा लिखा हो, सम्पन्न हो और हमारे गरीब ग्रामीण शराबी की लंगोटी पर भी बुरी नजर रखे। दूसरी और हमारा लंगोटी वाला उसकी इच्छा को देखकर अपनी लंगोटी भी उतारकर दे दे तो प्रश्न उठता है कि फारवर्ड कौन? गरीब की लंगोट पर बुरी नीयत रखने वाला गरीब अशिक्षित बैकवर्ड? किसने बनाई यह परिभाषा जिसमें भौतिक संसाधन युक्त धूर्त फारवर्ड और भौतिक संसाधन विहिन शरीफ वैकवर्ड। मेरा दृढ़मत है कि गलत है यह परिभाषा। फारवर्ड वैकवर्ड की पहचान की पहली शर्त होनी चाहिये शराफत और दूसरी संसाधन। शराफत को आधार बनाया जावें तो हमारा क्षेत्र भारत के सर्वाधिक फारवर्ड क्षेत्रों में शामिल होना चाहिये। फारवर्ड की पहचान में शिक्षा की जगह ज्ञान, संसाधनों की जगह चरित्र क्षमता की जगह नीयत को शामिल करने की जरूरत है। हमारा क्षेत्र एक फारवर्ड क्षेत्र हैं और सम्पूर्ण भारत को यह संदेश देने की क्षमता रखता है। बाहर के लोग कहते है कि हमारे क्षेत्र के लोग बानर भालू के समान हैं जो अविकसित या अल्प विकसित हैं। मेरा कहना है कि सोने की लंका में कैद सीता जी राक्षसों से घिरी हुई थी। सीता जी को छुड़ाने के लिये अयोध्या से सेना नहीं आई थी । सीता जी का पता लगाने तथा छुड़ाने का काम वानर भालुओं ने ही किया था। आज भी हमारी शराफत धन पतियों और राजनैतिक कानूनों के जाल के बीच कैद होकर रह रही है। हमारे रामानुजगंज क्षेत्र के वानर भालू उस शराफत को छुड़ाने के संघर्ष की पहल करेंगें।

इस पहल के प्रथम चरण के रूप में हम हर गांव में दो कार्य करेंगें (1) प्रत्येक गांव में एक ग्राम देवता का चयन। यह ग्राम देवता न कोई चुनाव लड़ेगा न किसी चुनाव में किसी के पक्ष विपक्ष में प्रचार करेगा। उसकी पहचान गांव में एक तटस्थ, शरीफ, सम्मानित, व्यक्ति के रूप में होगी। किन्तु उसे कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति की पहचान के लिये गांव के लोग उसके घर के बाहर एक ‘‘ज्ञान ‘‘ का झंडा गांड देंगे जो ग्राम देवता का प्रतीक होगा। (2) लोक पंचायत का गठन। एक कहानी है कि मेरा लड़का कलेक्टर बन जावे और मैं उसके कार्यालय में जाउॅ तो वह लड़का कुर्सी पर बैठा रहता है और मैं खड़ा। मान लीजिये कि मेरे घर में मरनी हो जावे। पूरा परिवर घर में बैठा हैं। मेरा बेटा आयेगा तो कलेक्टर बन कर बैठेगा या बेटा बनकर? स्वाभाविक है कि घर के बाहर उसका व्यवहार कलेक्टर का रहेगा और घर के भीतर पुत्र का। हमारे चुने हुए पंच सरपंच हमारी ग्राम सभा के बाहर हमारे प्रतिनिधि के रूप में

रहेंगे और ग्राम सभा के भीतर मैनेजर के रूप में। दुर्भाग्य से वह ग्राम सभा के भीतर भी विशिष्ट व्यक्ति बनना चाहता है, मैनेजर नहीं समझता। यदि हमारा मैनेजर जिसे हम अपना बराहिल भी कहते है वह हमसे बिना पूछे हमारे खेत का धान चुराकर अपने घर ले जावे तो वह हमारी चोरी करता है। यदि वह मालिक की जानकारी में ले जावे तो चोर नहीं है। आज स्थिति यह है कि हमारा पंच सरपंच हमें मालिक मानता ही नहीं। वह बिना ग्राम सभा से पूछे मनमानी गड़बड़ी करता है। सबसे दुखद बात यह है कि वह चुपचाप हमारे हस्ताक्षर भी करा लेता है और ईमानदार बन जाता है। वह कोशिश करता है कि ग्राम सभा में कम से कम लोग आवे और बाद मं घर घर से हस्ताक्षर कराकर पूर्ति कर ली जावे। हम गांव गांव में सरकारी पंचायत पर पहरेदार के रूप में एक पंद्रह सदस्यीय लोक पंचायत का गठन कर रहे हैं। यह लोक पंचायत सरकारी पंचायत के भ्रष्टाचार को उजागर करके ग्राम सभा को मजबूत करेगी। इस लोक पंचायत में किसी प्रकार का धर्म, जाति, लिंग, आदि का भेद नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार रहेगा।

कल्पना करिये कि एक हरे भरे पेड़ को सुखाना है। यदि हम जड़ो से कुछ उपर छः इंच छाल वोकला को पेंड़ के चारों तरफ छील दे तो पेंड स्वतः ही सूख जायेगा। जड़ो के द्वारा खीच-खीच कर उपर तक रस पहुंचाने का काम इस छाल के माध्यम से ही होता है। हमारे पंच सरपंच वह माध्यम है जो हमारें गांवों का धन भ्रष्टाचार के द्वारा दिल्ली तक पहुंचाते रहते हैं। यदि पंच सरपंच के पेंड़ के उपरी भाग तक धन पहुंचाने का गुप्त संबंध काट दे तो उपर से नीचे तक का भ्रष्टाचार अपने आप खतम हो जायेगा। हम पंच सरपंच के चारों ओर पंद्रह सदस्यों का एक घेरा बना रहे है जो इनके भ्रष्टाचार को रोक देगा। यह घेरा ग्राम सभा मे

ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति होने का प्रयास करेगा। तथा पंच सरपंच की अवैध भूमिका या सक्रियता को भी घटायेगा। इस लोक पंचायत को ट्रेनिंग दी जायगी कि वे किस प्रकार यह कार्य सम्पन्न कर सकते हैं। इस लोक पंचायत के गठन में धर्म जाति लिंग आदि का भेद नहीं होने से वर्ग विद्वेष घटेगा तथा वर्ग भेद मुक्त नई सामाजिक संरचना की शुरूआत होगी।

आज समाज में उसी व्यक्ति को अधिक सम्मान प्राप्त है जो या तो धनवान हो या राजनैतिक शक्ति रखता हो। इस नई पहल से लोक पंचायत मजबूत होंगी। कालांतर में यह लोक पंचायत प्रणाली आदर्श भी बन सकती है। आज गाय की रोटी कुत्ता खा रहा है। गाय भूखों मर रही है और कुत्ता मोटा हो रहा है। यदि कुत्ते को भगाया जाय तो काटने का भी डर हैं, यदि कुत्ते के मुंह में जाब लगाकर उसे खुला छोंड़ दे तो वह गाय की रोटी खा भी नहीं सकेगा और काट भी नहीं सकेगा। लोक पंचायत कुत्ते के मुँह पर जाब लगाने का काम करेगी इस लोक पंचायत मे न कांग्रेस भाजपा का कोई राजनैतिक भेद होगा न ही हिन्दू , मुसलमान, आदिवासी गैर आदिवासी, औरत-मर्द, गरीब-अमीर का भेद। ग्रामीण विघटन और विवाद घटेंगे। लोक पंचायत आपसी विवाद भी घटायेगी। इस प्रयत्न से नई समाज रचना का काम शुरू होगा।

लोक पंचायत विशेष ग्राम सभा करके इस क्षेत्र को टैक्स फ्री जोन घोषित करने का भी शासन से निवेदन करेगी। आज गांव गांव में अपनी जमीन पर पैदा कृषि उपज पर भारी कर लगाया जाता हैं और नाम मात्र की छूट देकर वाहवाही लूटी जाती है। एक किसान यदि सौ रूपये का कृषि उत्पादन लेकर बाजार में बेच जब वह किसान नब्बे रूपये लेकर बाजार में कपड़ा ,दवा, साइकिल, या अन्य वस्तुएँ खरीदता है तो फिर सरकारीता है तो उस सौ में से नब्बे रूपये उसे प्राप्त होते है और दस रूपये विभिन्न करों के रूप में सरकारी खजाने में जमा हो जाते है। जब वह किसान नब्बे रूपया लेकर कपड़ा दवा साइकिल या अन्य वस्तुएं खरीदता है तब फिर खजाने में दस रूपये चुपचाप जाकर किसान को अस्सी रूपयों का सामान मिलता हैं। सौ रूपये के उत्पादन उपभोग की वस्तु पर बीस रूपये कर रूप में लेकर रसोई गैस मिटटी तेल ट्रैक्टर आदि पर सब्सीडी दे दी जाती है। हमारा प्रस्ताव है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेद भाव के दो हजार रूपया मासिक एक मुश्त नगद सब्सीडी देकर सारा टैक्स डीजल पेट्रोल बिजली मट्टी तेल कोयला आदि पर लगा दे। गरीब अमीर की खाई मिट जायगी, पर्यावरण प्रदूषण कम हो जायगा, शहरी आबादी घट जायगी। यदि यह बाद की बात भी मान ले तो हमारा क्षेत्र सरकार की नजर में पिछड़ा हुआ इलाका है जो निहायत गरीब है। पांच वर्षो से सीमित समय के लिये इस गरीब क्षेत्र से सब प्रकार के कर हटाने की हमारी मांग न्याय संगत भरी है और मानवीय भी। यदि आपको ज्यादा असुविधा हो तो आप हमारे क्षेत्र से जितना टैक्स वसूल करें वह पूरा का पूरा हिसाब करके ग्राम सभाओं को बांट दे। पता चल जायगा कि सरकार कितना लेती है और कितना देती है। अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ही धन लेकर हमे बांटने की सरकार की वाहवाही की पोल ही खुल जायगी। सरकार धन संग्रह में कितनी अमानवीय बन जाती है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि सरकार जब चाहती है तब हमारे अपने खेत में पैदा गन्ने का अधिकतम मूल्य तय करके उससे ज्यादा भाव में गन्ना बेचने पर या गुड़ बनाने पर रोक लगा देती है। हम

अपने उत्पादनों के अधिकतम मूल्य प्रणाली का विरोध करेगें। हमारी लोक पंचायते इसके खिलाफ ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पास करायेगीं। ऐसे अन्य उदाहरण भी संभव है।

हम इस लोक पंचायत प्रणाली के आधार पर सरकार से यह भी मांग करेंगे कि वह ग्राम सभाओं को अधिकाधिक अधिकार सम्पन्न तथा मजबूत बनाये। ग्राम सभाएं लोकतंत्र को लोक स्वराज्य की दिशा में ले जाने का मजबूत आधार है। ग्राम सभाओं को कुछ मामलों में उसी तरह विधायी अधिकार दिये जाये जिस तरह संसद और विधान सभा को प्राप्त है। हम लोक पंचायत का गठन करके वर्तमान प्रणाली का एक विकल्प देने का प्रयास कर रहे है। हम समाज में यह सिद्ध करना चाहते है कि समाज राष्ट्र से उपर है। राजनीति ने समाज व्यवस्था का दायित्व अपने उपर लेकर उसका दुरूपयोग किया है। अब सम्पूर्ण समाज व्यवस्था को सिर्फ राजनीति के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि राजनीति की नीतियॉ भी गलत हो गई है और नीयत भी। आवश्यकता है कि समाज राजनीति से हटकर कुछ नये विकल्पों की तलाश करें। लोक पंचायत व्यवस्था ऐसे खोज की शुरूआत है।

मैं जानता हूॅ कि यह प्रयत्न राजनेताओं को भी बहुत बुरा लगेगा और धर्मचार्यो को भी। सभी धर्माचार्य चरित्र निर्माण को एकमात्र समाधान बताते रहते है। ये धर्माचार्य समाज को दोषी बता बता कर राजनीति का बचाव करते रहते हैं। धर्माचार्यो को समझना चाहिये कि समाज टूट नहीं रहा है बल्कि योजनापूर्वक तोड़ा जा रहा है। हम समाज को तब तक मजबूत नहीं कर सकते जब तक राजनैतिक तिकड़म से बचने का उपाय नहीं करतें। लोक पंचायत व्यवस्था ऐसी राजनैतिक तिकड़म से बचाव का मार्ग खोलेगी। धर्म गुरूओं को प्रयोग देखना चाहिये। जो लोग राजनीति में अब भी ईमानदार हैं वे बधाई के पात्र है किन्तु वे वर्तमान राजनैतिक वातावरण में सामाजिक टूटन कम नहीं कर सकते। इसलिये इस सबका समाधान तो व्यवस्था परिवर्तन ही है जिसका शाब्दिक अर्थ है लोक तंत्र को लोक स्वराज्य में बदलना और जिसका प्रारंभिक कार्य है लोक पंचायत का गठन।

हम दो दिशाओं में कार्य करना चाहते है। पहला दीर्घ कालिक (2) तात्कालिक।

दीर्घ कालिक योजना के रूप में हम लोक पंचायत गठन तथा ग्राम देवता का चयन कर रहे है इससे लोक तंत्र लोक स्वराज्य में बदलेगा। किन्तु यह कार्य धीरे धीरे होगा। अभी तत्काल हम ईमानदार शरीफ राजनेताओं को प्रोत्साहित करके बदनाम नेताओं को कमजोर करने का प्रयास कर रहे है। हमारी नजर में अभी तीन प्रकार के नेता है। पहले प्रकार में- मनमोहन सिंह, चिदम्बरम, सोनियॉ गांधी, रमन सिंह, नरेन्द्र मोदी, नीतिश कुमार, बाबुलाल मंरांडी, शांता कुमार , बुद्धदेव भट्टाचार्य, अच्युतानंदन, नवीन पटनायक, शिवराज पाटील, सरीखे लोग है। तो दूसरी ओर मुलायम सिंह, लालू प्रसाद, रामबिलास पासवान, मायावती, अजीत जोगी, शिबुसोरेन, प्रकाश करात, जय ललिता, करूणानिधि, ममता बनर्जी, स्वामी अग्निवेश आदि है। अन्य नेता अभी स्पष्ट नहीं है। हम लगातार पहले प्रकार को मजबूत कर रहे है और दूसरे प्रकार को कमजोर। पिछले दो वर्षो में इसके अच्छे परिणाम दिखे है। ईमानदार लोग मजबूत हो रहे है। बिहार चुनाव परिणाम ने हमारा मनोबल और बढ़ाया है। तीसरे प्रकार के लोग अब तक अस्पष्ट हैं। उनकी गतिविधियॉ न पहली श्रेणी के समान दिखती हैं न दूसरी के समान।

हमारी प्राथमिकताएँ भी श्रेणी अनुसार बदलना चाहिये। वर्तमान राजनैतिक वातावरण में हमे चाहिये कि हम किसी भी राष्ट्रीय या प्रादेशिक दल का आंख मूंद कर तब तक समर्थन न करें जक तक वह दल लोक स्वराज्य को अपनी पहली प्राथमिकता घोषित न कर दे। दलीय आधार पर समर्थन सहयोग के लिये लोक स्वराज्य की प्राथमिकता अनिवार्य हैं। व्यक्ति के आधार पर प्रथम श्रेणी के व्यक्तियों का मनोबल बढ़ना और दूसरी श्रेणी के लोगों का मनोबल गिरना चाहिये। तीसरी श्रेणी के लोगों की गुण दोष के आधार पर निरंतर समीक्षा करनी चाहिये । यदि कहीं इससे भिन्न स्थिति हो तो उस व्यक्ति की नीयत और नीतियों की समीक्षा करके व्यक्तिगत आधार पर निर्णय करना चाहिये। यदि कोई नया दल बने जो लोक स्वराज्य के अतिरिक्त किसी प्रणाली का वचन दें तो ऐसे दल पर आंख मूदकर विश्वास करना धातक होगा । क्योंकि वर्तमान् समय में लोक स्वराज्य प्रणाली का कोई और विकल्प नहीं है। लोक स्वराज्य के अभाव मे हम उन व्यक्तियो को आगे ला रहे है जिनकी नीयत और क्षमता अब तक प्रमाणित है। किसी नयी व्यवस्था या व्यक्ति पर अब विश्वास करना भी घातक ही होगा। ज्ञान यज्ञ परिवार ने स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान को आधार बनाकर नयी समाज रचना का छोटे से स्तर पर सफल प्रयोग किया है, जो आपके सामने है। दूसरी ओर ज्ञान यज्ञ परिवार ने राष्ट्रीय स्तर पर तात्कालिक राजनैतिक वातावरण में हस्तक्षेप करके एक का समर्थन, दो का विरोध और तीन की समीक्षा का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी विषयों पर सब लोग स्वतंत्रता पूर्वक विचार मंथन करें। ऐसे विषयों पर विचार मंथन में भिन्न भिन्न या विपरीत विचार भी संभव हैं। सबको विचार मंथन की पूरी पूरी स्वतंत्रता हैं और होनी चाहिये। उसके भी अच्छे परिणाम दिखने लगे है। आशा हैं कि आप सबका सहयोग अधिक सफलता की और अग्रसर करेगा।